Date: 3.1.2022	**Publication:** Dainik Bhaskar
Page no.: 9	**Edition:** New Delhi
Headline: Benefit Talk: NCB of old car helps you with premium reduction for new car	

फायदे की बात नई कार खरीदने पर मोटर बीमा के प्रीमियम में मिल सकती है 50% तक छूट

पुरानी कार का नो क्लेम बोनस करा सकते हैं ट्रांसफर

यदि आपके पास गाड़ी है, तो मोटर इंश्योरेंस होगा ही। यह कानूनन अनिवार्य है। यदि आपने कोई क्लेम नहीं किया है तो आप 'नो क्लेम बोनस' (एनसीबी) के भी हकदार होंगे। जब भी आप अपनी वर्तमान गाड़ी का मोटर बीमा रिन्यू कराते होंगे, आपको इसका लाभ मिलता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नई कार खरीदने में भी आप यह नो क्लेम बोनस इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे...

पुराने नो क्लेम बोनस को ट्रांसफर कराना है आसान

ऑफलाइन एनसीबी ट्रांसफर के लिए अपनी बीमा कंपनी से अनुरोध करें। वह सर्टिफिकेट जारी कर देगी। इससे आप नई कंपनी से एनसीबी ले सकते हैं। ऑनलाइन बीमा खरीद रहे हैं तो पिछली पॉलिसी संख्या और कंपनी की जानकारी देनी होगी। नई कंपनी एनसीबी ट्रांसफर कर देगी।

एनसीबी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होता है

नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होता है। इसलिए यदि आप कुछ वर्षों के लिए विदेश जा रहे हैं या कुछ समय के लिए ऑफ-रोड होने की सोच रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप 3 साल के भीतर यदि कार के लिए मोटर इंश्योरेंस लेंगे तो एनसीबी छूट मिलेगी।

ऐसे मिलता है एनसीबी ट्रांसफर का लाभ

मान लीजिए कि आपकी पुरानी कार 8-10 साल पुरानी है और आपने लगातार पांच साल कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में आप 50% तक एनसीबी के हकदार हैं। अब आपने नई कार खरीदी है और इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 रुपए है। इसमें से 5,000 रुपए थर्ड पार्टी प्रीमियम है और 25,000 रुपए ओन डैमेज प्रीमियम है। इस पर आपको 50% यानी 12,500 रुपए तक की छूट मिल सकती है।

एनसीबी प्रोटेक्शन एड-ऑन ले सकते हैं

एनसीबी प्रोटेक्शन एड-ऑन खरीदकर आप एनसीबी को हमेशा एक्टिव रख सकते हैं। आप कितनी भी क्लेम्स फाइल कर लें, एनसीबी बरकरार रहेगा। हर इंश्योरेंस कंपनी में यह छूट अलग-अलग होती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां एक पॉलिसी वर्ष में दो क्लेम्स की अनुमति देती हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

1. जब तक आप पुरानी कार के मालिक नहीं हैं, तब तक एनसीबी छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
2. आप पुरानी कार बेच सकते हैं, एनसीबी अपने पास रख सकते हैं और नई कार में ट्रांसफर कर सकते हैं।
3. पुरानी कार की ओनरशिप रिश्तेदार को ट्रांसफर कर एनसीबी ले सकते हैं।

सिर्फ ओन डैमेज प्रीमियम पर लागू होता है एनसीबी

एनसीबी केवल ओन डैमेज (ओडी) प्रीमियम पर लागू होता है। थर्ड-पार्टी (टीपी) प्रीमियम पर यह छूट नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि संपूर्ण प्रीमियम 3,000 रुपए है और इसका 20% टीपी प्रीमियम 600 रुपए है। ऐसे में एनसीबी छूट 2,400 रुपए के ओडी प्रीमियम पर लागू होगी और अधिकतम छूट 1,200 रुपए होगी। यह पहले दावा-मुक्त वर्ष के लिए 20% से शुरू होता है और धीरे-धीरे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें लगातार दावा-मुक्त वर्षों के लिए क्रमशः 25%, 35%, 45% और 50% तक पहुंच जाता है।

आदित्य शर्मा
चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, रिटेल सेल्स, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस